माननीय विनय मित्तल और एच. एस. भल्ला, जे.जे. के समक्ष

डॉ. सुरेश कुमार और *अन्य, — याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य और *अन्य, — उत्तरदाताओं*

2006 की सी.डब्ल्यू.पी. 6099

25 सितंबर, 2006

भारत का संविधान, 1950 — अनुच्छेद 226। पंजाब सिविल सेवा नियम, वॉल्यूम. I, भाग II-अध्ययन अवकाश नियम, 1963-नियम 3(5) — प्रवेश एमडी / एमएस / पीजी डिप्लोमा के लिए — सरकार ने संशोधित पात्रता जारी की इन-सर्विस उम्मीदवारों प्रवेश पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम के लिए मानदंड पांच से तीन साल की सेवा की अवधि को कम करना — चुनौती उसमें— याचिकाकर्ता यह बताने में विफल हैं कि सरकार नीति को संशोधित करने के लिए सक्षम नहीं है — नियम 3(5) प्रदान करता है अध्ययन अवकाश आमतौर पर एक सरकारी कर्मचारी को नहीं दिया जाएगा जिसने पांच साल से कम सेवा प्रदान की गई हो — क्या सरकारी डॉक्टर पांच साल से कम की सेवा में अध्ययन अवकाश पाने का हकदार नहीं है — निर्णय, नहीं- नियम 3(5) में 'आम तौर पर' शब्द का उपयोग दिखाता है कि राज्य सरकार किसी भी कर्मचारी यहां तक की कर्मचारी जिसने पांच साल से कम की सेवा प्रदान की गई हो , उसको अध्ययन अवकाश देने में सक्षम है — एक बार अगर सरकार के पास अध्ययन छोड़ने की शक्ति है, फिर नियमों में कोई और संशोधन आवश्यक नहीं है — याचिका खारिज कर दी गई।

निर्णय, यह कुछ भी नहीं बताया गया है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों के लिए उच्च अध्ययन और चिकित्सा शिक्षा के बारे में नीति को संशोधित करने के लिए सक्षम नहीं था। मूल रूप से राज्य सरकार द्वारा 26 जून, 2002 को एक नीति तैयार की गई थी (प्रोस्पेक्टस में अनुलग्नक 'डी')। उक्त नीति को उसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित किया गया है जब 24 फरवरी, 2006 को एक नई संशोधित नीति जारी की गई। मूल नीति अनुबंध 'डी' में "इनसर्विस उम्मीदवार" के लिए पात्रता शर्तें पाँच साल की सेवा थी जबकि उक्त शर्त संशोधित नीति में तीन साल की सेवा तय की गई है। हमे यह मानने का कोई कारण नहीं मिला है कि राज्य सरकार उक्त नीति को संशोधित करने के लिए सक्षम नहीं थी । राज्य की आवश्यकताओं के साथ-साथ जनहित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार

द्वारा उपरोक्त निर्णय लिया गया है । उपरोक्त मामला नीति का प्रश्न होने के कारण इसे नीति निर्माताओं के विवेक पर छोड़ देना बेहतर है। एक बार जब राज्य सरकार की क्षमता प्रश्न में नहीं है, तो उसकी वांछनीयता के संबंध में कोई और सवाल नहीं उठता है।

(पैरा 18)

निर्णय, अध्ययन अवकाश नियमों, 1963 के नियम 3 (5) में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि हालांकि यह निर्धारित किया गया है कि अध्ययन अवकाश आमतौर पर सरकारी कर्मचारी को नहीं दिया जाएगा जिन्होंने सरकार के तहत पांच साल से कम सेवा प्रदान की है लेकिन 'आम तौर पर' शब्द का उपयोग केवल यह दर्शाता है कि राज्य सरकार पांच साल से कम सेवा वाले कर्मचारी को भी अध्ययन अवकाश देने के लिए सक्षम है। इस प्रकार, एक कर्मचारी जो उच्च अध्ययन / पीजी पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने की इच्छा रखता है और जिन्होंने पांच साल से कम सेवा प्रदान की है भी अध्ययन अवकाश प्राप्त करने का हकदार है, निश्चित रूप से सरकार का विवेक से।

(पैरा 20)

राकेश नेहरा, एडवोकेट, याचिकाकर्ताओं के लिए।

अशोक जिंदल, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा के लिए उत्तरदाताओं नंबर 1 से 3।

वी.डी शर्मा, श्री आर.एस. टैकोरिया, एडवोकेट, प्रतिवादी सं. 2 के लिए ।

आर.के. मलिक, एडवोकेट, उत्तरदाताओं के लिए नंबर 5 से 9, 12, और 15

निर्णय

विनय मित्तल. जे.

(1) यह निर्णय 2006 की सिविल राइट पेटिशन नं. 6099 और 11024 का निपटान करेगा क्योंकि दोनों मामलों में शामिल विवाद सामान्य है।

(2) सबसे पहले, यह देखा जा सकता है कि याचिकाकर्ता सी.डब्ल्यू.पी. 2006 की संख्या 11024 ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत भारत के

सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और राज्य सरकार द्वारा बनाई गई एक नीति को चुनौती दी थी, जिसके तहत एक नीति जिसके तहत "इनसर्विस उम्मीदवारों" के पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश की पात्रता पांच साल की सेवा से घटाकर तीन साल की सेवा कर दी गई थी। याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर उपरोक्त याचिका पर एपेक्स कोर्ट ने विचार नहीं किया और मामले को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिका के रूप में माने जाने के लिए इस न्यायालय में वापस भेज दिया गया है। फलस्वरूप उपरोक्त रिट याचिका का निस्तारण भी वर्तमान निर्णय के माध्यम से किया जा रहा है।

(3) सुविधा के लिए, तथ्य 2006 की सी.डब्ल्यू.पी. नं. 6099 से उधार लिया गए हैं ।

(4) 22 दिसंबर, 2005 की एक अधिसूचना के माध्यम से, हरियाणा राज्य ने शैक्षणिक सत्र 2006 के लिए हरियाणा राज्य में एमडी/एमएस/पीजी डिप्लोमा में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक को नामांकित और अधिकृत किया। नतीजतन, विश्वविद्यालय ने दिसंबर, 2005 में उपरोक्त उद्देश्य के लिए एक प्रॉस्पेक्टस जारी किया। प्रॉस्पेक्टस के अनुसार, पात्र उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी, 2006 बताई गई थी। एमडी/एमएस पाठ्यक्रमों की कुल 82 सीटों में से, 17 सीटें हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज (एचसीएमएस) उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थीं, इसी तरह, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की कुल 29 सीटों में से, छह सीटें एचसीएमएस उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थीं। इसके अलावा, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, रोहतक में एमडीएस पाठ्यक्रमों की कुल आठ सीटों में से एक सीट एचसीएमएस श्रेणी के लिए आरक्षित थी। प्रॉस्पेक्टस में, परिशिष्ट “डी” संलग्न किया गया था, जो 26 अप्रैल, 2002 को वित्तीय आयुक्त और हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव की ओर से स्वास्थ्य विभाग महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा, हरियाणा और निदेशक, पीजीआईएमएस, रोहटक, को एक संचार था जिस में स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग में डॉक्टरों की उच्च

अध्ययन शिक्षा के बारे में नीति का संदेश था । पूर्वोक्त नीति निर्णय में, यह निर्धारित किया गया था कि आरक्षित सीट के खिलाफ उच्च अध्ययन के लिए "इनसर्विस उम्मीदवारों" को "प्रोबेशन अवधि को सफलतापूर्वक पूरी करनी होगी और राज्य सरकार के तहत पांच साल की सेवा पूरी करनी होगी, जिसमें प्रोबेशन अवधि भी शामिल है जिसमें से तीन साल की सेवा/सर्विस ग्रामीण क्षेत्र होनी चाहिए।" इसके अतिरिक्त, इन-सर्विस श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने से पहले सक्षम प्राधिकारी से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त करना भी आवश्यक था। परिशिष्ट 'डी' में शामिल पॉलिसी के भाग-ए की सामान्य शर्तें इस प्रकार है:

"1. स्वास्थ्य विभाग में राज्य सरकार के मामलों के संबंध में सेवारत एचसीएमएस/होम डॉक्टरों और पीजीआईएमएस, रोहतक में सेवारत डॉक्टरों को पीजी डिप्लोमा/पीजी डिग्री/सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों के लिए विभिन्न शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने और प्रवेश लेने की अनुमति दी जा सकती है जिसके लिए मेडिकल पेशे की उनकी संबंधित धाराओं में जिसके लिए उन्हें सीएसआर वॉल्यूम 1 के नियम 8. 126 के साथ सीएसआर खंड 1 भाग 2 में परिशिष्ट 20 के तहत या स्वीकार्य रूप में इस तरह की छुट्टी के नियमों के तहत के अनुसार अध्ययन अवकाश के लिए आवेदन करना होगा और उसका लाभ उठाना होगा ।

24 फरवरी, 2006 को हरियाणा सरकार के वित्तीय आयुक्त और प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा, हरियाणा, निदेशक पीजीआईएमएस रोहतक, हरियाणा राज्य के सभी सिविल सर्जनों को संबोधित एक और पत्र जारी किया गया, जिसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग और पीजीआईएमएस, रोहतक में डॉक्टरों के लिए उच्च अध्ययन की संशोधित नीति के बारे में बताया गया। संशोधित नीति के अनुसार, एक "इनसर्विस उम्मीदवारों" उक्त पीजी पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने के लिए पात्र

था, यदि उसने "प्रोबेशन अवधि" सफलतापूर्वक पूरी कर ली है और राज्य सरकार के तहत तीन साल की सेवा पूरी कर ली है, जिसमें प्रोबेशन अवधि शामिल है और जिसमें से दो साल की सेवा ग्रामीण क्षेत्रों में होनी चाहिए ।" तथापि, ग्रामीण क्षेत्र सेवा की शर्त एचएमईएस उम्मीदवारों के मामले में लागू नहीं होनी थी ।"

(5) संशोधित नीति की सामान्य शर्तों का भाग 'ए' इस प्रकार है:-

"1. स्वास्थ्य विभाग में राज्य सरकार के मामलों के संबंध में सेवारत एचसीएमएस/एचएमईएस डॉक्टरों और पीजीआईएमएस, रोहतक में सेवारत डॉक्टरों को पीजी डिप्लोमा/पीजी डिग्री/सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों के लिए विभिन्न शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जा सकती है, मेडिकल पेशे की उनकी संबंधित धाराएं जिसके लिए उन्हें आवेदन करना होगा और प्रासंगिक नियमों के तहत अध्ययन अवकाश का लाभ उठाना होगा ।"

(6) संशोधित नीति में यह भी निर्धारित किया गया कि उक्त नीति सीएसआर वॉल्यूम । और ।। (परिशिष्ट-20) में संशोधन के अधीन है। राज्य सरकार द्वारा संशोधित नीति जारी होने के बाद, पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए संशोधित पात्रता मानदंड को अधिसूचित करने के लिए 27 फरवरी, 2006 को समाचार पत्रों में एक शुद्धिपत्र प्रकाशित किया गया था, सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिएआवेदन की अंतिम तिथि भी 7 मार्च, 2006 तक बढ़ा दी गई थी।

(7) पूर्वोक्त पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के उद्देश्य से, संशोधित नीति जारी करने के बाद, जैसा कि ऊपर देखा गया है, 12 मार्च, 2006 को एक प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी । वर्तमान याचिकाकर्ता और निजी उत्तरदाताओं की संख्या 5 से 30 और अन्य पात्र उम्मीदवार पूर्वोक्त प्रवेश परीक्षा में उपस्थित हुए। प्रवेश परीक्षा का परिणाम 13 मार्च 2006 को घोषित किया गया।

(8) याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि केवल तीन साल की सेवा वाले कई उम्मीदवारों (निजी उत्तरदाताओं संख्या 5 से 30 सहित) ने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है और, उपरोक्त पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, ऐसे व्यक्तियों द्वारा कब्जा की गई सीटें वास्तव में याचिकाकर्ताओं जैसे पांच साल से अधिक की सेवा वाले एचसीएमएस उम्मीदवारों के लिए थीं। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान याचिका के माध्यम से इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है। मुख्य रूप से उन्होंने 24 फरवरी, 2006 की संशोधित नीति, अनुलग्नक पी/3 को चुनौती दी है और इसके परिणामस्वरूप काउंसलिंग को चुनौती दी है जिसमें निजी उत्तरदाताओं संख्या 5 से 30 ने भाग लिया था।

(9) याचिकाकर्ताओं के दावे का उत्तरदाताओं ने विरोध किया है। प्रतिवादी नंबर 1. हरियाणा राज्य द्वारा एक लिखित बयान दायर किया गया है जिसमें 24 फरवरी, 2006 की संशोधित नीति का बचाव किया गया है। प्रतिवादी नंबर 2 महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय द्वारा एक अलग लिखित बयान दायर किया गया है, जिसमें हरियाणा राज्य द्वारा बनाई गई संशोधित नीति पर भी भरोसा किया गया है। निजी उत्तरदाताओं ने उत्तरदाताओं संख्या 1 और 2 द्वारा दायर उत्तर को अपनाया है।

(10) हमने याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री राकेश नेहरा, प्रतिवादी संख्या 1 और 3 की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा, श्री अशोक जिंदल और श्री आर.के. मलिक, निजी उत्तरदाताओं की ओर से पेश हुए विद्वान वकील को सुना है और कुछ हद तक उनकी सहायता से मामले के रिकॉर्ड का भी अध्ययन किया है।

(11) याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री राकेश नेहरा ने निम्नलिखित तर्क उठाए हैं:

(i) राज्य द्वारा अपनाई गई पिछली प्रथा और नीति के अनुसार, राज्य सरकार के अधीन पांच साल की सेवा वाले एचसीएमएस उम्मीदवार

केवल आरक्षित सीटों के खिलाफ उच्च अध्ययन के लिए पात्र थे। और दिसंबर 2005 में प्रॉस्पेक्टस जारी करने के समय, उक्त नीति को जारी रखा गया था और यहां तक कि इन परिस्थितियों में प्रॉस्पेक्टस के साथ संलग्न अनुबंध 'डी' में भी संकेत दिया गया था, विद्वान वकील ने कहा है कि प्रॉस्पेक्टस जारी होने के बाद में उपरोक्त नीति को बदलने का कोई औचित्य नहीं था।

(ii) प्रॉस्पेक्टस में नीति अनुबंध 'डी' के अनुसार, उसके पैरा-ए में एक सामान्य शर्त शामिल थी कि राज्य सरकार के मामलों के संबंध में सेवारत एचसीएमएस/एचईएमएस डॉक्टरों को पीजी डिप्लोमा/पीजी डिग्री पाठ्यक्रम आदि में प्रवेश के लिए आवेदन करने और लेने की अनुमति दी गई थी। जिसके लिए उन्हें सिविल सेवा नियमों के अनुसार आवेदन करना और अध्ययन अवकाश प्राप्त करना आवश्यक था। विद्वान वकील के अनुसार क्यूंकि पांच साल से कम सेवा वाले एचसीएमएस कर्मचारियों के लिए अध्ययन अवकाश की अनुमति नहीं है, इसलिए ऐसे उम्मीदवार को पात्र नहीं माना जा सकता है।

(iii) यहां तक कि संशोधित नीति अनुबंध पी/3 दिनांक 24 फरवरी, 2006, जिसके तहत पात्रता शर्त को पांच साल की सेवा से घटाकर तीन साल की सेवा कर दिया गया है, विशेष रूप से उसके भाग ए में प्रावधान किया गया है कि उपरोक्त श्रेणी में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवार को प्रासंगिक नियमों के तहत अध्ययन अवकाश के लिए आवेदन करना और लाभ उठाना आवश्यक था। विद्वान वकील के अनुसार, उक्त नीति में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि यह सीएसआर वॉल्यूम । भाग ।। (परिशिष्ट-20) में संशोधन के अधीन था। और क्यूंकि सिविल सेवा नियमों में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया गया है, इसलिए, उक्त नीति को लागू नहीं माना जा सकता है।

(12) उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा उपरोक्त सभी तर्कों का खंडन किया गया है।

(13) श्री अशोक जिंदल, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा और उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील आर.के. मलिक ने तर्क दिया है कि दिसंबर, 2005 में प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए प्रॉस्पेक्टस जारी किया गया था। प्रवेश परीक्षा मार्च, 2006 के महीने में आयोजित होने वाली थी। हालाँकि, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले, राज्य सरकार द्वारा एक निर्णय लिया गया है, जिसके तहत एचसीएमएस उम्मीदवारों के लिए पात्रता शर्तों को संशोधित किया गया है और उपरोक्त नीति में संशोधन पर, सभी श्रेणियों के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 7 मार्च, 2006 तारीख कर दी गई थी। विद्वान वकील ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त नीतिगत निर्णय जनहित में लिया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य के सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आम लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए योग्य डॉक्टरों की संख्या बढ़ाना है।

(14) श्री जिंदल ने तर्क दिया है कि राज्य सरकार अपनी नीति को संशोधित करने के लिए पूरी तरह सक्षम है और पुरानी नीति, जो वर्ष 2002 में जारी की गई थी, के आधार पर याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई निहित अधिकार नहीं था।

(15) यहां तक कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील की ओर से उठाए गए दूसरे तर्क का भी उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने विरोध किया है। यह बताया गया है कि संशोधित नीति अनुबंध पी/3 (जैसा कि ऊपर पुन: प्रस्तुत किया गया है) के भाग 'ए' के अनुसार, हालांकि आरक्षित एचसीएमएस/एचएमईएस श्रेणी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को संबंधित नियमों के तहत अध्ययन अवकाश प्राप्त करना आवश्यक था, लेकिन पंजाब सिविल सेवा नियम खंड के परिशिष्ट 20 के नियम 3(5) भाग II, पांच वर्ष से कम सेवा वाले कर्मचारी को अध्ययन अवकाश प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं थी, क्योंकि राज्य सरकार पांच वर्ष से कम सेवा वाले कर्मचारी को भी ऐसा अध्ययन अवकाश दे सकती थी।

(16) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तीसरे तर्क का खंडन करते हुए, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील द्वारा यह बनाए रखा गया है कि यद्यपि संशोधित नीति अनुबंध पी/3 में यह निर्धारित किया गया था कि यह

सीएसआर वॉल्यूम. । भाग ।। परिशिष्ट 20 के संशोधन के अधीन था। लेकिन बाद में 17 अगस्त 2006 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में ऐसे नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव लिया गया लेकिन उसे वापस ले लिया गया। विद्वान वकील के अनुसार, उक्त नियमों में संशोधन पूरी तरह से अनावश्यक था, क्योंकि सरकार के पास पहले से ही पांच साल से कम सेवा वाले कर्मचारी को अध्ययन अवकाश देने की शक्ति थी, इसलिए नियमों में कोई संशोधन आवश्यक नहीं था।

(17) हमने कुछ चिंता के साथ पार्टियों के विद्वान वकील के उपरोक्त तर्कों पर विधिवत विचार किया है। हमने पूरे मामले पर गहराई से विचार किया है। हम संतुष्ट हैं कि वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई शिकायतें पूरी तरह से बिना किसी आधार के हैं।

(18) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में सेवारत डॉक्टरों के लिए उच्च अध्ययन के संबंध में नीति को संशोधित/पुन: तैयार करने में सक्षम नहीं है। राज्य सरकार द्वारा मूल रूप से 26 जुलाई, 2002 को एक नीति तैयार की गई थी (प्रॉस्पेक्टस में अनुलग्नक 'डी')। उक्त नीति को उसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित किया गया है जब 24 फरवरी, 2006 को एक नई संशोधित नीति जारी की गई थी। मूल नीति अनुबंध 'डी' में, "इन-सर्विस उम्मीदवार" के लिए पात्रता की शर्तें पांच साल की सेवा थीं। जबकि संशोधित नीति में उक्त शर्त तीन वर्ष की सेवा निर्धारित की गई है। हमें यह मानने का कोई कारण नहीं मिलता कि राज्य सरकार उक्त नीति को संशोधित करने में सक्षम नहीं थी। उपरोक्त निर्णय राज्य सरकार द्वारा राज्य की आवश्यकताओं के साथ-साथ जनहित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जैसा कि लिखित बयान में कहा गया है। उपरोक्त मामला नीति का प्रश्न होने के कारण इसे नीति निर्माताओं के विवेक पर छोड़ देना बेहतर है। एक बार जब राज्य सरकार की क्षमता पर सवाल नहीं उठाया जाता है, तो उसकी वांछनीयता के संबंध में कोई और सवाल नहीं उठता है।

(19) याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाया गया दूसरा तर्क भी बिना किसी आधार के है। प्रॉस्पेक्टस के साथ संलग्न अनुलग्नक 'डी' के भाग ए (जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है) में निर्धारित किया गया है कि एचसीएमएस उम्मीदवार को सिविल सेवा नियमों के अनुसार अध्ययन अवकाश के लिए आवेदन करना होगा या नियमों के तहत स्वीकार्य प्रकार की छुट्टी का लाभ उठाना होगा। संशोधित नीति (ऊपर भी उद्धृत) के संबंधित भाग ए में, यह निर्धारित किया गया है कि पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहने वाले आवेदक को संबंधित नियमों के तहत अध्ययन अवकाश के लिए आवेदन करना और उसका लाभ उठाना आवश्यक था। एकमात्र प्रश्न जिस पर विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या राज्य सरकार के साथ पांच साल से कम सेवा वाला उम्मीदवार/कर्मचारी अध्ययन अवकाश का हकदार है या नहीं? इस संबंध में अध्ययन अवकाश नियम, 1963 के नियम 3(5) का संदर्भ लिया जा सकता है, जो लोक सिविल सेवा नियम खंड । भाग ।।. के परिशिष्ट-20 से है। त्वरित संदर्भ के लिए, नियम 3(5) को इस प्रकार निकाला जा सकता है:

> "(5) सामान्यतः अध्ययन अवकाश उस सरकारी कर्मचारी स्वीकृत नहीं किया जाएगा –
>
> (i) जिसने सरकार के अधीन पांच वर्ष से कम सेवा प्रदान की हो;
>
> या
>
> (ii) जो सरकार के अधीन कोई राजपत्रित पद धारण नहीं करता है; या
>
> (iii) जो सेवानिवृत्त होने वाला है या जिसके पास छुट्टी की समाप्ति के बाद ड्यूटी पर लौटने की उम्मीद की जाने वाली तारीख से पांच साल के भीतर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने का विकल्प है।"

(20) उपरोक्त नियम का अवलोकन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यद्यपि यह निर्धारित किया गया है कि अध्ययन अवकाश आम तौर पर उस सरकारी कर्मचारी को नहीं दिया जाएगा जिसने सरकार के तहत पांच साल से कम सेवा प्रदान की है, लेकिन

"सामान्यतः" शब्द का उपयोग मात्र दर्शाता है राज्य सरकार पांच वर्ष से कम सेवा अवधि वाले कर्मचारी को भी अध्ययन अवकाश देने में सक्षम है। इस प्रकार, एक कर्मचारी जो उच्च अध्ययन/पीजी पाठ्यक्रम करना चाहता है और उसकी सेवा पांच साल से कम है, वह भी सरकार के विवेक के अधीन पाठ्यक्रम का अध्ययन अवकाश प्राप्त करने का हकदार है। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं की ओर से यह सुझाव नहीं दिया जा सकता है कि पांच साल से कम सेवा वाले सरकारी डॉक्टर सिविल सेवा नियमों के तहत अध्ययन अवकाश पाने के हकदार नहीं हैं, वे सेवा में उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का लाभ उठाने के भी पात्र नहीं हैं।

(21) याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाया गया तीसरा तर्क भी किसी भी स्वीकृति के योग्य नहीं है।

(22) हालांकि संशोधित नीति अनुबंध पी/3 यह निर्धारित करता है कि उपरोक्त प्रवेश सिविल सेवा नियम, खंड I भाग II परिशिष्ट 20 में संशोधन के अधीन है। और उपरोक्त नियम में अब तक संशोधन नहीं किया गया है, लेकिन जैसा कि ऊपर देखा गया है, पांच साल से कम सेवा वाले कर्मचारी को अध्ययन अवकाश देने के उद्देश्य से नियमों में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं थी। 17 अगस्त, 2006 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के कार्यवृत्त भी हमारे समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं। कार्यवृत्त की मद संख्या 4 से पता चलता है कि परिशिष्ट 20 में पंजाब सिविल सेवा नियम खंड I भाग II में संशोधन के लिए एक प्रस्ताव रखा गया था। हालाँकि, उक्त प्रस्ताव वापस ले लिया गया था। जैसा कि राज्य के विद्वान वकील ने तर्क दिया, यह स्पष्ट है कि वास्तव में ऐसे किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं थी। राज्य सरकार के पास पहले से ही उक्त अवकाश नियमों के नियम 3(5) के तहत 5 वर्ष से कम सेवा वाले कर्मचारी को अध्ययन अवकाश देने की शक्ति है। एक बार जब उपरोक्त शक्ति पहले से ही मौजूद है, तो कोई और संशोधन आवश्यक नहीं था।

(23) किसी अन्य मुद्दे पर आग्रह नहीं किया गया है।

(24) उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हमें वर्तमान याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं मिलती है। परिणामस्वरूप उन्हें खारिज कर दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

भावना गेरा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
कुरूक्षेत्र, हरियाणा